इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अप्रैल 2012—चैत्र 17, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2012

क्र. ई-5-460-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आलोक श्रीवास्तव, आयएएस., (1984) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग को दिनांक 13 से 16 मार्च 2012 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10-12 मार्च 2012 एवं 17-18 मार्च 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री आलोक श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में श्री आर. एस. जुलानिया, आयएएस., (1985) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आलोक श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. एस. जुलानिया, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

(5) अवकाशकाल में श्री आलोक श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-825-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, आयएएस.,(2006) कलेक्टर जिला हरदा को दिनांक 9 से 22 मार्च 2012 तक चौदह दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8, 23, 24 एवं 25 मार्च 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े की अवकाश अवधि में श्री नागरगोजे मदन विभीषण, भाप्रसे., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला हरदा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर जिला हरदा के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े द्वारा कलेक्टर जिला हरदा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नागरगोजे मदन विषीषण, कलेक्टर जिला हरदा के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-1-89-2012-5-एक.—श्री आर. परशुराम, भाप्रसे (1978), वि.क.अ.-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन, मछलीपालन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय पदस्थ किया जाता है. इसके साथ-साथ श्री आर. परशुराम, कृषि उत्पादन आयुक्त का कार्य पूर्ववत् संपादित करते रहेंगे.

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2012

क्र. ई-1-54-2012-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री शिवानन्द दुबे (1996), कलेक्टर, दमोह.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग.
2	श्री स्वतंत्र कुमार सिंह (2007), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास), रीवा.	कलेक्टर, दमोह

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2012

क्र. ई-1-83-2012-5-एक.—श्री आर. ए. खण्डेलवाल, भाप्रसे (1996), सचिव मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी पदस्थ किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री आर. ए. खण्डेलवाल, भाप्रसे (1996) द्वारा कार्यभार करने दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित संभागीय कमिश्नर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

(3) उपरोक्त पद-1 के अनुक्रम में श्री आर. ए. खण्डेलवाल, भाप्रसे (1996) द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुदेश कुमार भाप्रसे (1984), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम तथा आयुष विभाग एवं आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का अतिरिक्त प्रभार को केवल आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2012

क्र. ई-5-702-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रदीप खरे, आयएएस., कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल को दिनांक 16 से 28 अप्रैल 2012 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 29 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री प्रदीप खरे की अवकाश की अवधि में श्री टी. धर्माराव, आयएएस., कमिश्नर रीवा, संभाग रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, शहडोल संभाग शहडोल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, शहडोल संभाग शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रदीप खरे द्वारा कमिश्नर, शहडोल संभाग शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री टी. धर्माराव, कमिश्नर, शहडोल संभाग शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री प्रदीप खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रदीप खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2012

क्र. ई-5-709-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती सीमा शर्मा, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 7 से 13 अप्रैल 2012 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5, 6 एवं 14, 15 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सीमा शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सीमा शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सीमा शर्मा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. ई-5-851-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम.बी. ओझा, आयएएस., कलेक्टर, जिला राजगढ़ को दिनांक 19 से 22 मार्च 2012 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 एवं 23, 24, 25 मार्च 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एम.बी. ओझा की अवकाश की अवधि में श्री शशांक मिश्रा, भा.प्र.से., अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला राजगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम.बी. ओझा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एम.बी. ओझा द्वारा कलेक्टर, जिला राजगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शशांक मिश्रा, कलेक्टर, जिला राजगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एम.बी. ओझा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम.बी. ओझा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-353-आयएएस-लीव-एक-5.—श्री स्वदीप सिंह, आय.ए.एस., विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 फरवरी 2012 द्वारा दिनांक 21 फरवरी से 1 मार्च 2012 तक स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 21 फरवरी से 3 मार्च 2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

2. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 फरवरी 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई-5-900-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री आनन्द कुमार शर्मा, आय.ए.एस., अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को दिनांक 26 से 31 मार्च 2012 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 मार्च एवं 1 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आनन्द कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनन्द कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2012

क्र. ई-1-31-2012-5-एक.—डॉ. ई. रमेश कुमार, भा.प्र.से. (1999), कलेक्टर, सागर को दिनांक 1 जनवरी 2012 से भा.प्र.से. का प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2012

क्र. ई-5-593-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक बर्णवाल, आय.ए.एस., आयुक्त-सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 7 से 20 अप्रैल 2012 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 5, 6 एवं 21, 22 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक बर्णवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक बर्णवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक बर्णवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-753-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. ई. रमेश कुमार, आयएएस., कलेक्टर, जिला सागर को दिनांक 26 से 31 मार्च 2012 तक, छ: दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23, 24, 25 मार्च एवं 1 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) डॉ. ई. रमेश कुमार की अवकाश अवधि में श्री नंद कुमारम्, भा.प्र.से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सागर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. ई. रमेश कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सागर के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. ई. रमेश कुमार द्वारा कलेक्टर जिला सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नंद कुमारम्, कलेक्टर, जिला सागर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. ई. रमेश कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. ई. रमेश कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2012

क्र. ई-5-396-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ को दिनांक 19 मार्च से 13 अप्रैल 2012 तक, छब्बीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 मार्च एवं 14, 15 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-770-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, आयएएस., कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 26 मार्च से 7 अप्रैल 2012 तक, तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में सुश्री आइरिन सिंथिया जे. पी., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर, जिला भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री आइरिन सिंथिया जे. पी., कलेक्टर, जिला भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2012

क्र. एफ-3-5-2011-एक-4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, नगर परिषद्, छनेरा, जिला खण्डवा के आम निर्वाचन 2011-12 हेतु मतदान दिनांक 15 मार्च 2012 गुरुवार को जिले के संबंधित क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

2. उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्र के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पंत, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. ई-5-726-आय.ए.एस.-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. के. श्रीवास्तव, आयएएस, आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को दिनांक 27 जनवरी से 6 फरवरी 2012 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री आर. के. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-805-आय.ए.एस.-लीव-एक-5.—श्री विनोद सिंह बघेल, आयएएस, अपर आयुक्त (राजस्व), सागर संभाग, सागर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 फरवरी 2012 द्वारा दिनांक 12 मार्च से 13 अप्रैल 2012 तक, तैंतीस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश. एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई-5-820-आय.ए.एस.-लीव-एक-5.—(1) श्री संतोष कुमार मिश्रा, आयएएस, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिनांक 25 दिसम्बर 2011 से 4 फरवरी 2012 तक, बयालीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री संतोष कुमार मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संतोष कुमार मिश्रा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2012

क्र. ई-5-834-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रजनी उईके, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दिनांक 3 से 7 मार्च 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती रजनी उईके को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रजनी उईके, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-406-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. के. सामन्तरे, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 फरवरी 2012 द्वारा दिनांक 28 फरवरी से 3 मार्च 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, के अनुक्रम में दिनांक 4 से 5 मार्च 2012 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 फरवरी 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2012

क्र. ई-5-859-आयएएस-लीव-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जनवरी 2012 द्वारा श्री भरत यादव, आयएएस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नरसिंहपुर को दिनांक 23 जनवरी से 4 फरवरी 2012 तक, तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. उक्त अर्जित अवकाश का उपभोग विदेश में नहीं किये जाने के फलस्वरूप केवल एक्स इंडिया अवकाश (विदेश यात्रा) की अनुमति एतद्द्वारा निरस्त की जाती है, अर्जित अवकाश यथावत् रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव 'कार्मिक'.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2012

क्र. एफ 13-4-2012-अ-ग्यारह.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, संजय गांधी ताप विद्युत् गृह क्रमांक 3 की इकाई क्रमांक 5 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी. 4672 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 26 दिसम्बर 2011 से 25 अप्रैल 2012 तक, चार माह के लिए छूट देता है:—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी;

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 तथा 13 की अपेक्षानुसार बॉयलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा;

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी;

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्यूलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा;

(5) मध्यप्रदेश बॉयलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी; एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

क्र. एफ 13-5-12-अ-ग्यारह.—बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह क्रमांक 1 की इकाई क्रमांक 2 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.एम./3211 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 13 दिसम्बर 2011 से 12 मार्च 2012 तक तीन माह के लिए छूट देता है:—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी;

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 की अपेक्षानुसार बॉयलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा;

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी;

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा;

(5) मध्यप्रदेश बॉयलर नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी; एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

क्र. एफ 13-6-12-अ-ग्यारह.—बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह क्रमांक 1 की इकाई क्रमांक 1 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी. 3205 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 15 जनवरी 2012 से 14 अप्रैल 2012 तक, तीन माह के लिए छूट देता है:—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी;

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 की अपेक्षानुसार बॉयलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा;

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी;

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा;

(5) मध्यप्रदेश बॉयलर नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी; एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

क्र. एफ 13-7-12-अ-ग्यारह.—बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह क्रमांक 3 की इकाई क्रमांक 9 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी. 3534 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की

धारा 6 (सी) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 8 जनवरी 2012 से 7 अप्रैल 2012 तक, तीन माह के लिए छूट देता है:—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी;

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 की अपेक्षानुसार बॉयलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा;

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी;

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा;

(5) मध्यप्रदेश बॉयलर नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी; एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

क्र. एफ 13-8-12-अ-ग्यारह.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमि., विन्ध्यानगर, जिला सिंगरौली स्थित वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी. 4645 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 22 जनवरी 2012 से 21 जुलाई 2012 तक, छः माह के लिए छूट देता है:—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी;

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 की अपेक्षानुसार बॉयलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा;

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी;

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा;

(5) मध्यप्रदेश बॉयलर नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी; एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद रफीक खान, उपसचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2012

क्र. एफ 1-95-2005-आठ.—मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्र. 17(ई) 2-2002-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 7 मार्च, 2012 द्वारा श्री महेश प्रसाद अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा की सेवायें अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, ग्वालियर के पद पर नियुक्त करने हेतु प्रतिनियुक्ति पर परिवहन विभाग को सौंपी गई हैं.

उपरोक्त आदेश के तारतम्य में समन्वय में आदेश प्राप्त किये जाकर श्री महेश प्रसाद अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, ग्वालियर के रिक्त पद पर पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2012

क्र. एफ 11-06-2009-तीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, संस्कृति विभाग के अन्तर्गत मध्यप्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण के प्रशासनिक प्रबंध एवं नियंत्रण के लिये प्राधिकरण के सदस्य मण्डल एवं कार्यपालिक समिति का गठन किया जाता है. जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1.	मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन	—	अध्यक्ष
2.	मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग.	—	कार्यकारी अध्यक्ष.
3.	मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, धर्मस्व विभाग.	—	उपाध्यक्ष
4.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	—	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, गृह विभाग.	—	सदस्य

6.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग.	—	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.	—	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.	—	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन विभाग.	—	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.	—	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग.	—	सदस्य
12.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग.	—	सदस्य
13.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग विभाग.	—	सदस्य
14.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामीण विकास विभाग.	—	सदस्य
15.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.	—	सदस्य
16.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	—	सदस्य
17.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग.	—	सदस्य
18.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामोद्योग विभाग.	—	सदस्य
19.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग.	—	सदस्य
20.	पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश शासन	—	सदस्य
21.	2 सांसद (शासन द्वारा मनोनीत)	—	सदस्य
22.	3 विधायक (शासन द्वारा मनोनीत)	—	सदस्य
23.	कला, संस्कृति क्षेत्र से 5 प्रतिनिधि (शासन द्वारा मनोनीत).	—	सदस्य
24.	उद्योग-व्यापार क्षेत्र से 5 प्रतिनिधि (शासन द्वारा मनोनीत).	—	सदस्य
25.	विभिन्न क्षेत्रों से 5 सामाजिक कार्यकर्ता (शासन द्वारा मनोनीत).	—	सदस्य
26.	संचालक, संस्कृति संचालनालय एवं कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण.	—	सदस्य-सचिव.

मध्यप्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण की कार्यपालक समिति

1.	मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग.	—	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग.	—	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.	—	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन विभाग.	—	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग.	—	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	—	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग.	—	सदस्य
8.	संचालक, संस्कृति संचालनालय	—	सदस्य-सचिव.

मेले जो तद्विषयक विशिष्ट अधिनियम से शासित होते हैं. इस प्राधिकरण द्वारा विनियमित नहीं होंगे.

मध्यप्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण के प्रशासनिक प्रबंध एवं नियंत्रण के लिये प्राधिकरण के सदस्य मण्डल एवं कार्यपालक समिति के संचालन के लिये प्रशासकीय अमले की स्वीकृति पृथक से दी जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. बाजपेई, अपर सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2012

क्र. एफ 1(ए)20-92-ब-2-दो.—श्री पी. के. रूनवाल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स), पु. मु. भोपाल को दिनांक 29 जनवरी से 29 फरवरी 2012 तक, कुल बत्तीस दिवस के लघुकृत अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 64 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री पी. के रूनवाल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. के. रूनवाल, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 280-76-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी 2012 में श्री एच. के. सरीन, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को दिनांक 1 अप्रैल 2012 का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा खण्डवर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012 में निम्नानुसार अवधि के लिये सपत्नीक गृह नगर ''दिल्ली'' जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की गई है.

(2) दिनांक 1 अप्रैल 2012 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण उक्त आदेश में आकस्मिक अवकाश का त्रुटिपूर्ण अंकित दिनांक 1 अप्रैल 2012 के स्थान पर 2 अप्रैल 2012 पढ़ा जाये.

(3) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, अपर मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2012

क्र. एफ 17(ई)51-2005-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारीगण की सेवाएं, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-2012-उन्तीस-2, दिनांक 21 मार्च 2012 द्वारा उनकी नियुक्ति जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष के पद पर प्रतिनियुक्ति पर किये जाने के फलस्वरूप, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन को सौंपता है :—

1.	श्री जगतपति राव, विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, ग्वालियर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, होशंगाबाद.
2.	कु. करूणा एस. त्रिवेदी, विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, राजगढ़.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल.
3.	डॉ. शिव कुमार मिश्रा, विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बड़वानी.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, गुना.
4.	श्री शैलेन्द्र शुक्ला, चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, भोपाल.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, खण्डवा.
5.	श्री राकेश कुमार सिंह (सीनियर), तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, इन्दौर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, इन्दौर.
6.	श्री सुशील कुमार शर्मा, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सागर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, विदिशा.
7.	श्री ऋषभ कुमार सिंघई, चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सागर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, रतलाम.
8.	श्री श्रीराम दिनकर, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सबलगढ़, जिला मुरैना.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, रीवा.
9.	श्री महेश भदकारिया, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, भिण्ड.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, मुरैना.

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2012

क्र. फा.-3(बी)6-2011-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 22), राज्य शासन, श्री आशुतोष यादव पुत्र श्री महेश चन्द्र यादव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला दतिया है. उसकी जन्मतिथि 8 जनवरी, 1987 है.

क्र. फा.-3(बी)6-2011-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 26), राज्य शासन, श्री मनीष अनुरागी पुत्र श्री सुखनंदन सिंह को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला उज्जैन है. उसकी जन्मतिथि 27 अगस्त, 1984 है.

क्र. फा.-3(बी)6-2011-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 32), राज्य शासन, श्री शिव कुमार डावर पुत्र श्री सावन सिंह डावर को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2

(प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला अलीराजपुर है. उसकी जन्मतिथि 26 फरवरी, 1987 है.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2012

क्र. फा.-3(बी)6-2011-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 06), राज्य शासन, श्री सचिन कुमार पुत्र श्री इन्द्रेश कुमार को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सहारनपुर (यू.पी.) है. उसकी जन्मतिथि 15 फरवरी, 1979 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2012

क्र. एफ 1-1-2004-छप्पन.—राज्य शासन द्वारा विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अप्रैल 2006 द्वारा जारी की गई सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2006 की कंडिका 5.b.v.8.f. में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:—

भूमि 33 वर्ष की लीज पर दी जाएगी तथा इसके नवीनीकरण का प्रावधान होगा. इस तरह आवंटित भूमि का न्यूनतम 60 प्रतिशत हिस्सा सूचना प्रौद्योगिकी के निवेश के लिये उपयोग में लाया जाएगा शेष 40 प्रतिशत का उपयोग अन्य सहायक गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा. इस तरह विकसित क्षेत्र में प्रति एकड़ न्यूनतम 100 इंजीनियर्स/आई.टी./आई.टी.ई.एस. प्रोफेशनल्स को रोजगार देने की क्षमता होना चाहिए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार कोचर, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2012

क्र. एफ 1-1-2004-छप्पन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश शासन की सूचना प्राद्योगिकी नीति 2006 में विभाग के आदेश क्र. एफ-1-1-2004-छप्पन, दिनांक 22 मार्च 2012 द्वारा जारी संशोधन आदेश का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार कोचर, अवर सचिव.

Bhopal, the 22nd March 2012

No. F.-1-1-2004-LVI.—The State Government hereby makes the following amendment in the Information Technology Policy 2006; Government of Madhya Pradesh issued vide Information Technolog Department order of even number dated 3rd April para 5.b.v.8.f.

Land will be allotted for 33 years on lease with provision for further renewal. A minimum 60% of the total of the IT investment area will be used IT operations and the balance 40% can be used for ancillary use and support services The area so developed should have facility to create at least 100 Engineers/I.T./I.T.E.S. Professionals jobs per acre.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SUDHIR KUMAR KOCHAR, Under Secy.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2012

क्र. एफ 3-1-2012-तेरह.—राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के आर्टिकल 58 (ई) के प्रावधानों के अंतर्गत श्री विजेन्द्र नानावटी, मुख्य अभियंता, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी का चयन किये जाने के फलस्वरूप उन्हें आर्टिकल्स 58 (जी) (i) एवं (v) के प्रावधानों के अन्तर्गत मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमि., जबलपुर के प्रबंध संचालक के पद पर आदेश जारी करने के तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, के लिये नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. गुप्ता, अपर सचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2012

सूचना

क्र. एफ 6-3-2012-सात-3.—राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (3) में दर्शाई तहसीलों को सूखा प्रभावित मानती है और

वृहद प्रचार एवं सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है:—

अनुसूची

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)
1	मुरैना	1. सबलगढ़
2	बड़वानी	1. बड़वानी, 2. पानसेमल
3	अलीराजपुर	1. अलीराजपुर
4	बैतूल	1. आमला, 2. घोड़ाडोंगरी
5	नरसिंहपुर	1. गाडरवारा
6	छिन्दवाड़ा	1. तामिया
7	बालाघाट	1. वारासिवनी, 2. लालबर्रा, 3. खेरलांजी.
8	सिवनी	1. केवलारी
9	सतना	1. रामनगर
10	होशंगाबाद	1. बाबई, 2. सोहागपुर, 3. होशंगाबाद, 4. इटारसी, 5. सिवनी मालवा, 6. डोलरिया.
11	शाजापुर	1. गुलाना
12	देवास	1. कन्नौद, 2. खातेगांव
13	खण्डवा	1. हरसूद, 2. पुनासा, 3. खालवा
14	खरगोन	1. सेगांव
15	सीहोर	1. बुधनी, 2. नसरूल्लागंज, 3. रेहटी
16	रायसेन	1. गोहरगंज, 2. गैरतगंज, 3. सिलवानी, 4. बरेली, 5. उदयपुरा, 6. बाड़ी.
17	हरदा	1. खिरकिया, 2. हरदा, 3.टिमरनी, 4. सिराली, 5. रेहटगांव, 6. हंडिया.
18	छतरपुर	1. चंदला
19	टीकमगढ़	1. ओरछा, 2. मोहनगढ़
	योग . .	44

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2012

क्र. एफ 6-3-2012-सात-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्र.एफ 6-3-2012-सात-3, दिनांक 27 मार्च 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 27th March 2012

NOTICE

No. F.-6-3-2012-VII-3.—On the basis of standard fixed by the State Government the State Government hereby, recognize the drought affected tahsils shown in column in (3) of Schedule given below and this notice is published for wide publicity and information to general public:—

SCHEDULE

No. (1)	District (2)	Affected tahsils (3)
1	Morena	1. Sabalgarh
2	Badwani	1. Badwani, 2. Pansemal
3	Alirajpur	1. Alirajpur
4	Betul	1. Amla, 2. Ghoradongari
5	Narsinghpur	1. Gadarwara
6	Chhindwara	1. Tamia
7	Balaghat	1. Waraseoni, 2. Lalbarra, 3. Khairlanji
8	Seoni	1. Kewlari
9	Satna	1. Ramnagar
10	Hoshangabad	1. Babai, 2. Sohagpur, 3. Hoshangabad, 4. Itarsi, 5. Seoni Malwa, 6. Dolriya.
11	Shajapur	1. Gulana
12	Dewas	1. Kannod, 2. Khategaon
13	Khandwa	1. Harsud, 2. Punasa, 3. Khalwa.
14	Khargone	1. Segaon.
15	Sehore	1. Budhni, 2. Nasrullanganj, 3. Rehti.
16	Raisen	1. Goharganj, 2. Gairatganj, 3. Silwani, 4. Bareli, 5. Udaipura, 6. Badi.
17	Harda	1. Khirkiya, 2. Harda, 3. Timarni, 4. Sirali, 5. Rehatgaon, 6. Handia.
18	Chhatarpur	1. Chandala
19	Tikamgarh	1. Orchha, 2. Mohangarh.
	Total	44

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MANOJ SHRIVASTAV, Principal Secy.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2012

क्र. एफ. 11-66-2010-बी-ग्यारह.—ट्रायडेंट समूह की कम्पनियों यथा मेसर्स ट्रायडेंट लिमिटेड एवं मेसर्स ट्रायडेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जिनका पंजीकृत कार्यालय ट्रायडेंट काम्पलेक्स रायकोट रोड, बरनाला, जिला बरनाला, पंजाब में स्थित है.

2. मध्यप्रदेश शासन, उपरोक्त कम्पनियों द्वारा औद्योगिक इकाईयों को स्थापित करने के लिये शासकीय लीज पर प्राप्त भूमि तथा स्वयं द्वारा अर्जित की गई भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, को ''औद्योगिक क्षेत्र'' घोषित करता है:—

क्र	भूमि धारक	ग्राम	पटवारी हल्का नं.	खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	बेरखेड़ी	14	1	0.23
2	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	बेरखेड़ी	14	4 में से	0.51
3	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	बेरखेड़ी	14	7	0.76
4	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	बेरखेड़ी	14	9 में से	0.78
5	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	बेरखेड़ी	14	20	0.27
6	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	बेरखेड़ी	14	13/2/2	0.60
7	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	बेरखेड़ी	14	15/2	0.52
8	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	बेरखेड़ी	14	15/5	1.00
9	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	बेरखेड़ी	14	17/3	0.22
10	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	बेरखेड़ी	14	18/2	0.28
11	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	बेरखेड़ी	14	19/3/2	0.41
12	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	बेरखेड़ी	14	21/4/2	0.20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	बेरखेड़ी	14	22/2	0.25
14	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	बेरखेड़ी	14	22/2/2	0.36
15	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	बेरखेड़ी	14	22/2/4/2	0.24
16	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	बेरखेड़ी	14	3/3/2	0.30
17	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	बेरखेड़ी	14	31/1/2	0.75
18	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	बेरखेड़ी	14	31/2/2	0.50
19	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	बेरखेड़ी	14	6/1/2	0.57
20	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	बेरखेड़ी	14	42	4.90
21	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	बुधनी	14	44 में से	0.94
22	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	खापा खुर्द	13	30 में से	0.69
23	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	खापा खुर्द	13	32	0.80
24	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	खापा खुर्द	13	33	0.42
25	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	खापा खुर्द	13	34	0.07
26	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	खापा खुर्द	13	35	0.34
27	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	खापा खुर्द	13	37	0.18
28	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	खापा खुर्द	13	38	0.25
29	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	खापा खुर्द	13	14 में से	1.26

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	खापा खुर्द	13	45	2.40
31	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	खापा खुर्द	13	49	0.39
32	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	खापा खुर्द	13	56	0.39
33	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	खापा खुर्द	13	47/2	1.34
34	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	खापा खुर्द	13	64/38	0.27
35	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	खापा खुर्द	13	66/43	1.64
36	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	खापा खुर्द	13	67/33	0.15
37	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	खापा खुर्द	13	69/53	0.27
38	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	खापा खुर्द	13	76/41	0.27
39	ट्रायडेंट लिमिटेड (लीज शासकीय भूमि).	पीली करार (सेवा भूमि)	14	61/2	4.00
40	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	2/1	20.77
41	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	2/2	12.50
42	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	11	9.25
43	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	33	5.35
44	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	10/1	6.88
45	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	10/2	6.88
46	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	12/1	4.47
47	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	12/2	2.24
48	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	12/3	2.24
49	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	13/1	2.31
50	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	13/2/1	1.17
51	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	13/2/3	0.55

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
52	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	13/3	2.32
53	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	14/1	2.32
54	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	14/2	4.65
55	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	14/3	1.16
56	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	14/4	1.16
57	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	15/1	2.82
58	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	15/3	0.63
59	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	15/4	1.81
60	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	15/6	1.17
61	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	16/1	0.94
62	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	16/2	0.93
63	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	16/3	0.93
64	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	17/1	2.00
65	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	17/2	0.95
66	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	17/4	4.93
67	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	17/5	2.00
68	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	18/1	7.02
69	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	18/3	3.70
70	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	19/3/1	3.36
71	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	19/3/3	0.43
72	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	19/1	4.99
73	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	19/2	6.00
74	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	19/4	1.80
75	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	19/5	1.80
76	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	19/6	1.80
77	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	19/7	1.60
78	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	19/8	1.80
79	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	21/1	1.80
80	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	21/2	5.00
81	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	21/3	1.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
82	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	21/4/1	1.59
83	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	21/4/3	0.21
84	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	22/1	7.10
85	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	22/2/1	3.33
86	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	22/2/3	0.31
87	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	22/2/4	2.50
88	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	22/2/4/1	2.22
89	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	22/2/4/3	0.04
90	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	22/2-जी	0.58
91	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	22/2-के	1.25
92	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	22/5	3.97
93	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	3/1	17.14
94	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	3/4	1.00
95	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	3/5	7.57
96	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	31/1/1	7.80
97	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	31/1/3	2.85
98	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	31/2/1	4.24
99	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	31/2/3	0.96
100	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	34/1	2.53
101	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	34/2	2.52
102	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	5/1	4.00
103	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	5/1/3	4.69
104	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	5/1/4	2.00
105	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	5/7	1.00
106	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	5/2	3.69
107	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	5/3	7.69
108	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	5/5	18.58
109	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	5/6	4.50
110	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	6/1/1	5.78
111	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	6/2	1.50
112	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	6/3	0.50
113	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बुदनी	14	42	17.58

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
114	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बुदनी	14	43	17.00
115	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बुदनी	14	20/1	6.00
116	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बुदनी	14	36/1	0.65
117	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बुदनी	14	36/2	5.00
118	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बुदनी	14	36/4	11.38
119	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बुदनी	14	36/5	4.00
120	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बुदनी	14	36/6	3.15
121	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बुदनी	14	39/1	4.63
122	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बुदनी	14	39/2	13.00
123	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बुदनी	14	40/1	2.50
124	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बुदनी	14	40/2	2.51
125	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बुदनी	14	40/3	5.00
126	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बुदनी	14	41/1	2.71
127	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बुदनी	14	41/2	3.00
128	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बुदनी	14	45/1	13.27
129	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बुदनी	14	45/2	13.27
130	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	बुदनी	14	45/3	11.05
131	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	54	0.72
132	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	55	3.77
133	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	24/8	3.32
134	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	29/1	1.46
135	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	29/2	1.47
136	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	31/1	2.50
137	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	31/2	2.50
138	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	39/1	6.21
139	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	39/2	6.22
140	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	40/2	7.60
141	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	40/3	0.69
142	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	47/1	6.00
143	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	48/1	2.41
144	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	48/2	12.96
145	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	48/3	4.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
146	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	48/4	2.00
147	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	48/5	0.31
148	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	48/6	5.00
149	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	48/7	1.65
150	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	53/1	6.50
151	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	53/2	6.50
152	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	53/3	6.14
153	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	53/6	0.45
154	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	53/7	0.45
155	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	53/4	6.50
156	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	53/5	6.50
157	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	57/2, 58/2	4.94
158	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	57/3, 58/3	2.49
159	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	57/5, 58/5	4.94
160	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	57/6, 58/6	9.87
161	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	59/1	3.28
162	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	59/8	0.73
163	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	68/59/2	1.30
164	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	68/59/3	1.00
165	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	68/59/4	1.00
166	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	68/49/5	1.13
167	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	68/59/7	2.00
168	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	खापाखुर्द	13	74/53	2.25
169	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	मउकला	14	179/3	8.81
170	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	मउकला	14	179/6	2.00
171	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	मउकला	14	179/7	2.00
172	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	मउकला	14	179/11	1.80
173	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	मउकला	14	180/7	9.46
174	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	मउकला	14	180/8	8.75
175	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	मउकला	14	180/3	5.49
176	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	मउकला	14	180/4	5.49
177	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	मउकला	14	180/5	5.48

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
178	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	ग्वाड़िया	14	40	0.88
179	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	ग्वाड़िया	14	42	1.27
180	ट्रायडेंट कार्पो. लिमिटेड	ग्वाड़िया	14	43	2.88
181	ट्रायडेंट लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	32	6.56
182	ट्रायडेंट लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	3/2	3.57
183	ट्रायडेंट लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	3/3/1	3.70
184	ट्रायडेंट लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	31/3	5.70
185	ट्रायडेंट लिमिटेड	बेरखेड़ी	14	37/1	2.13
186	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	36	0.31
187	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	46	7.51
188	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	60	6.92
189	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	40/1	6.90
190	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	42/1	1.22
191	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	42/2	0.42
192	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	42/3	0.18
193	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	42/4	8.23
194	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	42/5	0.55
195	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	42/6	7.57
196	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	43/1	0.67
197	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	43/2	8.24
198	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	44/1, 71/44/1	8.17
199	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	44/2, 71/44/2	10.42
200	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	44/3, 71/44/3	2.25
201	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	57, 58/1	9.87
202	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	57, 58/4	2.49
203	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	57, 58/7	4.92
204	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	59/2	1.62
205	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	59/3	1.30
206	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	59/4	2.94
207	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	59/5	1.50
208	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	59/6	7.32
209	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	59/7	2.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
210	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	59/9	2.00
211	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	62	0.30
212	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	73/63/1	0.35
213	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	65/39/1	0.37
214	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	65/39/2	0.73
215	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	65/39/3	0.73
216	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	65/39/4	0.75
217	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	68/59/1	0.27
218	ट्रायडेंट लिमिटेड	खापाखुर्द	13	68/59/6	4.32
219	ट्रायडेंट लिमिटेड	मऊकला	14	179/4	0.81
220	ट्रायडेंट लिमिटेड	मऊकला	14	179/5	2.00
221	ट्रायडेंट लिमिटेड	ग्वाड़िया	14	41	0.52
				योग . .	767.66

उपरोक्त भूमि जिस प्रयोजन के लिये आवंटित की गई अथवा कम्पनियों द्वारा स्वयं अर्जित की गई है, को आवंटन अथवा व्यपवर्तन के उपबंधों के अनुसार उपयोग किया जावे. इन उपबंधों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में यह अधिसूचना निष्प्रभावी की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. सोलंकी, उपसचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2012

क्र. एफ-2-01-2009-ई-चार.—राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 7(1)/7(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर को निम्नलिखित ऋणपत्रों / ऋण पर प्रत्याभूति दी गई थी. मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा उक्त ऋणपत्रों / ऋण की राशि मय ब्याज सहित कुल राशि रुपये 7,15,00,000/- (सात करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) अदा करने के फलस्वरूप राज्य शासन उक्त ऋणपत्रों / ऋण के लिये प्रदत्त प्रत्याभूति को निरस्त करता है :—

(रुपये लाख में)

क्र.	आदेश क्र. व दिनांक	निहित दर	प्रत्याभूति दी गई	प्रत्याभूति समाप्ति की अवधि	प्रत्याभूति राशि	10 प्रतिशत राशि की अतिरिक्त प्रत्याभूति	कुल प्रत्याभूति राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	क्र. 39/6411/IV/आर-3/91-92, दिनांक 3-1-92.	12%	ऋण पत्र	6-1-2012	650	65	715

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रृंखला संगीने, अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिंगरौली, मध्यप्रदेश

सिंगरौली, दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. 163-आर.डी.एम.-2012.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1972 का सं. 02) की धारा 02 के खण्ड (एस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा दिनांक 3 मार्च 2012 के अनुक्रम में मैं, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिंगरौली, एतद्द्वारा वर्तमान में सिंगरौली जिले के पुलिस थाना बरगवां में सम्मिलित, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट राजस्व ग्रामों को वर्तमान पुलिस थाना बरगवां से विलोपित किया जाकर, थाना मोरवा के अन्तर्गत संचालित पुलिस चौकी गोरबी की अधिकारिता में सम्मिलित किये जाने हेतु अधिसूचित करता हूं :—

अनुसूची

वर्तमान पुलिस थाना	ग्राम का नाम	प्रस्तावित पुलिस थाना / पुलिस चौकी
(1)	(2)	(3)
थाना बरगवां	नौढ़िया, महदेइया, रजखड़, पड़री, सोलंग, ठुरुवा, चकवार, सिगाही, फुलझर.	थाना मोरवा के अन्तर्गत पुलिस चौकी गोरबी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

Jabalpur, the 20th March 2012

No. F. No. 71-B-LA-SLSA-1585-2012.—In exercise of the powers conferred under Section 22-B of the Legal Services Authorities Act, 1987 (As amended by Central Act No. 37 of 2002 and hereinafter referred to as the Act), the Madhya Pradesh State Legal Services Authority hereby :—

(i) establishes Permanent Lok Adalats at the places specified in Column No. 2 of the Table below, in respect of all the public Utility Services as defined in Clause (b) of Section 22A of the Act and also reproduced in the foot note of the Table below; and all the Permanent Lok Adalats so established, shall exercise jurisdiction in their respective areas as specified in Column No. 4 of the Table below against each Permanent Lok Adalat; and

(ii) appoints, after obtaining permission and after making necessary recommendations and seeking nominations, the following officers, whose designations are mentioned in Column No. (3) of the Table below against each Permanent Lok Adalat, as Chairman and Members of the aforesaid Permanent Lok Adalats, namely :—

TABLE

S.No.	Place of the Permanent Lok Adalat	Designation of the Officer		Areas in which Permanent Lok Adalat Shall exercise jurisdiction
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Shajapur	Special Judge, (SC-ST Atrocities Act) Shajapur.	Chairman	Whole of the Civil District Shajapur.
		Chief Medical & Health Officer, Shajapur.	Member	
		Executive Engineer (Civil) PWD, Shajapur.	Member	

Note.—Public Utility Services as defined under Clause (b) of Section 22-A of the Act ''Public Utility Service'' means any—

(i) Transport Service for the carriage of passengers or goods by air, road, or water; or

(ii) Postal, telegraph or telephone Service; or

(iii) Supply of power, light, or water to the public by any establishment; or

(iv) System of Public conservancy, of sanitation; or

(v) Service in hospital, or dispensary; or

(vi) Insurance Service;

and includes any service which the Central Government or the State Government as the case may be, may, in the public interest by notification declare to be a public Utility Service for purpose of the Chapter-VI-A of the Act.

By order of the Madhya Pradesh Legal Services Authority,
ANIL KUMAR CHATURVEDI, Member-Secy.

जबलपुर, दिनांक 21 मार्च 2012

क्र. फा.नं. 22-स्था.-राविसेप्रा.-1592-12.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के प्रावधानुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1610, दिनांक 26 मार्च 2010 द्वारा नामांकित राज्य लोक सूचना अधिकारी श्री पंकज उपाध्याय, विधिक सहायता अधिकारी के, अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप, दिनांक 31 अक्टूबर 2011 को सेवानिवृत्त होने के कारण उनके स्थान पर श्री राजेश कुमार सक्सेना, विधिक सहायता अधिकारी मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को राज्य लोक सूचना अधिकारी नामांकित किया जाता है.

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,
एस. सी. पाण्डेय, उपसचिव.

कार्यालय, कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

राजभवन, भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2012

क्र. एफ-1-1-12-रा.स.-यू.ए. 1/445.—जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्र. 12 सन् 1963) की धारा 15 की उपाधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :—

1	डॉ. एस. अय्यप्पन, सचिव एवं महानिदेशक, भारत सरकार, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110114	समिति के चेयरमेन	विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड द्वारा नामांकित.
2	डॉ. बी. एस. बिष्ट, कुलपति, जी. बी. पन्त यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नालाजी, पंतनगर - 263145 उत्तराखण्ड	समिति के सदस्य	कुलाधिपति जी द्वारा नामांकित
3	कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, मंत्रालय, भोपाल	समिति के सदस्य	राज्य सरकार, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा नामांकित.

2. महामहिम कुलाधिपति के द्वारा डॉ. एस. अय्यप्पन को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
जे. एन. मालपानी, राज्यपाल के सचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 2 फरवरी 2012

क्र. 242-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 23-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	पॉचकुला दक्षिण की निजी कृषि भूमि भाग-3.	10.966	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12, राजपुर, जिला बड़वानी.	शहीद भीमा नायक सागर परियोजना के बाँध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, स. स. प./शहीद भीमा नायक, सागर परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12, राजपुर, जिला बड़वानी, के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 2 मार्च 2012

क्र. 68-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. अ-82-04-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	बडौद	खजूरी बडौद	8.87	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर.	कछाल तालाब परियोजना के अन्तर्गत नहरों के निर्माण में आने वाली भूमि बावत्.
			योग . . 8.87		

नोट.—भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी आगर-बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 69-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र.-07-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	बडौद	गरबड़ा	5.45	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर (म. प्र.).	कछाल तालाब परियोजना के अन्तर्गत नहरों के निर्माण में आने वाली भूमि बावत्.
		योग . .	5.45		

नोट.—भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी आगर-बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 70-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र.-अ-82-06-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	बडौद	भीमाखेडी	9.45	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर (म. प्र.).	कछाव तालाब परियोजना के अन्तर्गत नहरों के निर्माण में आने वाली भूमि बावत्.
		योग . .	9.45		

नोट.—भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी आगर-बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 71-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र.-अ-82-03-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	बडौद	कडवाला	10.98	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर (म. प्र.).	कछाल तालाब परियोजना के अन्तर्गत नहरों के निर्माण में आने वाली भूमि बावत्.
		योग . .	10.98		

नोट.—भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी आगर-बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 72-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र.-अ-82-02-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	बडौद	सिंगलिया	5.75	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर (म. प्र.)	कछाल तालाब परियोजना के अन्तर्गत नहरों के निर्माण में आने वाली भूमि बावत्.
		योग . .	5.75		

नोट.— भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी आगर-बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 73-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र.-अ-82-01-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	बडौद	मदकोटा	15.94	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर (म. प्र.)	कछाल तालाब परियोजना के अन्तर्गत नहरों के निर्माण में आने वाली भूमि बावत्.
		योग . .	15.94		

नोट.— भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी आगर-बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 74-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र.-अ-82-08-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	बडौद	असंन्ध्या	7.52	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर (म. प्र.).	कछाल तालाब परियोजना के अन्तर्गत नहरों के निर्माण में आने वाली भूमि बावत्.
		योग . .	7.52		

नोट.— भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी आगर-बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 75-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र.-10-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अ1सूची में खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	बडौद	आमलिया	6.94	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर (म. प्र.)	कछाल तालाब परियोजना के अन्तर्गत नहरों के निर्माण में आने वाली भूमि बावत्.
		योग . .	6.94		

नोट.—भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी आगर-बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 76-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 9-अ-82-01-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	बडौद	बनोठीखुर्द	0.75	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर (म. प्र.)	कछाल तालाब परियोजना के अन्तर्गत नहरों के निर्माण में आने वाली भूमि बावत्.
		योग . .	0.75		

नोट.—भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी आगर-बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 77-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र.-11-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अुसुची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	बडौद	फूलखेड़ी	1.89	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर (म. प्र.)	कछाल तालाब परियोजना के अन्तर्गत नहरों के निर्माण में आने वाली भूमि बावत्.
		योग . .	1.89		

नोट.—भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी आगर-बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 78-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र.-अ-82-05-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	बड़ौद	बिलिया	11.96	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर.	कछाल तालाब परियोजना के अन्तर्गत नहरों के निर्माण में आने वाली भूमि बावत्.
		योग . .	11.96		

नोट.—भूमि के नक्शे एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी, आगर-बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

शाजापुर, दिनांक 29 मार्च 2012

क्र. भू-अर्जन-2012-93.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (8) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण (हेक्टर में)			(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शाजापुर	सुसनेर	खैराना	210.00 निजी भूमि	64.96 शासकीय भूमि	274.96 कुल भूमि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर.	कीटखेड़ी बांध निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2012-94.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (8) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण (हेक्टर में)			(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शाजापुर	सुसनेर	खेजड़ी	81.14 निजी भूमि	62.40 शासकीय भूमि	143.54 कुल भूमि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर.	कीटखेड़ी बांध निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2012-95.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (8) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण (हेक्टर में)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शाजापुर	सुसनेर	सारसी	38.96 निजी भूमि	15.76 शासकीय भूमि	54.72 कुल भूमि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर.	कीटखेडी बांध निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2012-96.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक (3) से (6) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (8) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण (हेक्टर में)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शाजापुर	सुसनेर	बडिया	4.23 निजी भूमि	6.11 शासकीय भूमि	10.34 कुल भूमि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर.	कीटखेडी बांध निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 3 मार्च 2012

भू-अर्जन प्र. क्र. 12-अ-82-11-12 नस्ती क्र. 160-2011 एलए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने

(5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	हनवंतियां	0.666	सचिव, म. प्र. शासन पर्यटन विभाग, भोपाल.	खण्डवा जिले में इंदिरा सागर गन्तव्य विकास योजना में वैकल्पिक बारहमासी मार्ग हेतु.

भूमि के नक्शे व (प्लान) आदि (1) कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा (2) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 16 मार्च 2012

प्र. क्र.-2226-अ-प्र. भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ ग्राम एवं प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	गढ़ाकोटा	मोठार नायक 32	8	0.51	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, गढ़कोटा.	मोठार ग्राम के पास सुनार नदी पर निर्मित इंनटेकबेल से मेन रोड तक मार्ग निर्माण हेतु कृषकों की निजी भूमि का अधिग्रहण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, अनुविभागीय अधिकारी, रहली कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 22 मार्च 2012

पत्र क्र. क.-प्र. भू-अर्जन-2567-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है

अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/ प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	जमुनिया/28	30	5.70	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.2, सागर.	सोनपुर मध्यम परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.
		केसली/25	60	13.40		
		मदनपुर/21	22	6.13		
		रामखेड़ी/23	16	4.10		
		कुकवारा/23	27	6.45		
		जैतपुर/22	06	1.20		
		जरुआ/22	32	7.80		
		बम्हनी/15	54	9.03		
		साबूढ़ाना/15	17	5.20		
		दलपतपुर/14	11	4.25		
		पटनाखुर्द/16	08	1.00		
सागर	देवरी	जैतपुर कछया/06	83	18.30		
		घोषीपट्टी/04	20	2.25		
		खामखेड़ा/05	33	4.95		
		बिजौरा/04	50	10.80		
		बहेरियाकला/10	04	0.50		
		कुल योग . .	473	101.06		

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—सोनपुर मध्यम परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च 2012

क्र. 32-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5)

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	गूजरबनबारी	1.362	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	हिम्मतगढ़ तालाब योजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर के निर्माण हेतु ग्राम गूजरबनबारी की भूमि अर्जन बावत्.
		योग . .	1.362		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 03-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	टप्पा घाटीगांव	करही	19.983	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	करही पाटई तालाब के निर्माण हेतु.
		योग . .	19.983		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 33-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	रजौआ	1.454	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	हिम्मतगढ़ तालाब योजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर के निर्माण हेतु ग्राम रजौआ की भूमि अर्जन बावत्.
		योग . .	1.454		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 34-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	मऊछ	0.601	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	हिम्मतगढ़ तालाब योजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर के निर्माण हेतु ग्राम मऊछ की भूमि अर्जन बावत्.
		योग . .	0.601		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 35-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	बनबार	1.453	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	हिम्मतगढ़ तालाब योजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर के निर्माण हेतु ग्राम बनबार की भूमि अर्जन बावत्.
		योग . .	1.453		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 36-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	रिछेरा	1.506	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	हिम्मतगढ़ तालाब योजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर के निर्माण हेतु ग्राम रिछेरा की भूमि अर्जन बावत्.
		योग . .	1.506		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 22 मार्च 2012

प्र. क्र. एफ-437-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मझगवां	नयागांव	5.639	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मझगवां, जिला सतना.	मंदाकिनी नदी चित्रकूट संरक्षण योजना के अंतर्गत सीवर ट्रीटमेंट प्लान के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 22 मार्च 2012

क्र.-दस-भू-अर्जन-फा. 559-प्र. क्र. 2-अ-82-2011-12-1403.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सेहागपुर	पैलवाह	33.114	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल म. प्र.	पैलवाह जलाशय योजना से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
		सकरिया	7.869		

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.

क्र.-दस-भू-अर्जन-फा. 560-प्र. क्र. 3-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	लफदा	55.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल (म. प्र.)	देवगढ़ जलाशय योजना से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
		गुर्रा	1.850		
		देवगढ़	32.000		

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 22 मार्च 2012

प्र. क्र. 03-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक के प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
रायसेन	बेगमगंज	खैरी	15/18/4	0.696	0.050	कार्यपालन अधिकारी जल संसाधन विभाग रायसेन.	नहर निर्माण (देहगवां जलाशय)
			15/18/3	0.522	0.045		
			17/3	0.582	0.059		
			15/18/2	0.522	0.048		
			15/18/1	0.526	0.405		
			168/15/1	5.625	0.190		

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
		मडिया गोसाई	255	1.647	0.137		
			253/1	0.405	0.035		
			251	0.239	0.038		
			250	0.362	0.020		
			253/3	0.525	0.034		
			253/2	1.254	0.025		
			252/1	0.405	0.034		
			248	1.157	0.064		
			60	0.206	0.030		
			59/2	0.178	0.025		
			55/1	0.142	0.023		
			55/2	0.691	0.025		
			58/1	0.960	0.075		
			87/1	0.312	0.020		
			58/2	0.963	0.075		
			86	1.259	0.085		
			87/2	0.316	0.020		
			88/1	0.406	0.013		
			88/3	0.101	0.012		
			118/1	0.797	0.025		
			116	0.320	0.035		
			105	0.073	0.025		
			106/1	0.275	0.080		
			109/2	0.680	0.185		
			211/1/3	1.263	0.090		
			45	0.036	0.025		
			51	0.393	0.038		
			46	0.028	0.025		
			44	0.097	0.040		
			213	0.470	0.014		
			212	0.502	0.015		
			32	1.530	0.108		
			211/1/1	1.263	0.089		
			211/1/2	1.263	0.090		
			211/2	1.263	0.089		
			37	0.368	0.080		
			56/1	0.040	0.040		

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
		देहगवॉ	222/2/2	2.351	0.265		
			221/3/2	1.040	0.020		
			219	0.918	0.080		
			369/219	0.144	0.020		
			109	0.227	0.195		
			209/1–372/226	1.214	0.005		
			209/2–372/26	1.214	0.005		
			209/3	1.214	0.005		
			201/2	0.627	0.010		
			209/4–376/226	0.891	0.005		
			368/208	0.073	0.030		
			207	0.470	0.015		
			208	0.077	0.015		
			201/1	0.307	0.010		
			194	1.193	0.060		
			193	0.299	0.025		
			180	0.733	0.125		
			182	0.898	0.055		
		जसरथी	488	5.094	0.140		
			562/488	0.308	0.020		
			487	0.593	0.005		
			486	1.578	0.095		
			481	1.811	0.025		
			478	4.820	0.250		
			473/2	0.809	0.040		
			471/1	1.214	0.035		
			471/2	0.101	0.010		
			499/471	1.267	0.045		
			444	1.137	0.085		
			445	1.267	0.115		
			436/1–436/2	1.074	0.010		
			468/2/1	1.357	0.115		
			468/2/2	1.053	0.075		
		घाना कलॉ	216/1	0.271	0.015		
			214/2/2	0.133	0.075		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			214/2	1.530	0.070	
			216/2	0.322	0.005	
			308/221	0.688	0.010	
			241	1.020	0.010	
			250/1/1/2	2.429	0.120	
			250/1/2	2.428	0.100	
			250/2/1	1.214	0.100	
			250/2/2	1.214	0.010	
			25/1/1/1/1/1	1.635	0.080	
			250/1/1/1/1/2	0.809	0.080	
			256/1	1.194	0.015	
			कुल योग . .	82.922	5.380	

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 22 मार्च 2012

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-230.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा (4) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा (4) की	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	बघरेली		निजी भूमि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.	पिण्डरुखी डायवर्सन स्कीम शीर्ष कार्य हेतु.
		प.ह.नं.	6	0.190		
		192/193	11	0.500		
		रा.नि.मं.	12	0.720		
		बजाग	20	0.080		
			21	0.080		
			22	0.560		
			23/1	0.050		
			24	0.170		
			19	0.330		
			23/3	0.050		
			योग निजी भूमि . .	2.730		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इंदौर, दिनांक 22 मार्च 2012

क्र. 249-भू-अर्जन-हातोद-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इंदौर	हातोद	पालाखेडी	152.980	कार्यपालन यंत्री, म. प्र. गृह निर्माण एवं अधौसंरचना विकास मण्डल, परियोजना, संभाग, इंदौर.	आवासीय प्रयोजन.

अर्जन से प्रभावित खसरा नंबरों का विवरण

205/2 पैकी, 211 पैकी, 215 पैकी, 232/2 पैकी, 233/1/2/2/1,233/1/2/2/2, 233/2 पैकी, 234/2 पैकी, 234/3, 235/1, 235/2, 236/1 पैकी, 236/2 पैकी, 237/1 से 237/10, 238/2 पैकी, 238/3 पैकी, 246/1 पैकी, 246/2, 247/2, 205/1, 247/3/1, 247/3/2, 247/4, 247/5/1, 247/5/2,247/6 पैकी, 247/7, 248/1, 245 पैकी, 244/1 पैकी, 248/2, 249/1, 249/2, 250/2 पैकी, 250/1 पैकी, 251 पैकी, 252/1/1, 252/1/2/1, 252/1/2/2, 252/2, 252/3, 254/1 पैकी, 254/2 255/1/1/1, 255/1/1/2, 255/1/2/1, 255/1/2/2, 256/2/1, 256/2/2, 256/2/3, 257/1 पैकी, 257/2/1, 257/2/2, 255/2, 257/3/1, 257/3/2, 256/1/1, 256/1/2, 258/1 /1, 258/1/2, 258/1/3, 258/1/4, 258/2, 258/3, 259/1, 259/2, 260, 261, 262/1, 262/2, 263/1, 263/2/1,263/2/2, 263/2/3, 264 पैकी, 266/3/2 पैकी, 266/3/3, 267 पैकी, 268 पैकी, 269 पैकी, 270/1 से 270/10, 271/1/1/1, 271/1/1/2, 271/1/1/3, 271/1/2, 247/1/ 1, 247/1/2, 271/2/1 पैकी, 271/2/2, 271/2/3, 285/1/1, 285/1/2, 285/2/1, 285/2/2 पैकी, 285/3/1, 285/3/2/1, 285/ 3/2/2 285/3/2/3, 285/3/2/4, 285/3/2/5,285/5 पैकी,286/1/1/1/1, 286/1/1/1/2, 286/1/1/2/1, 286/1/1/2/2, 286/1/1/2/3, 286/ 1/1/3/1, 286/1/1/3/2,286/1/1/4,286/1/2, 286/1/3/1/1, 286/1/3/1/2, 286/1/3/1/3, 286/1/3/2 पैकी, 286/1/4 पैकी, 286/2/1/1, 286/2/2/2, 286/2/3/1, 286/2/1/2, 286/2/2/1, 286/2/3/2, 286/2/4/1 पैकी, 286/2/4/2 पैकी, 286/2/5/2 पैकी, 286/3/1 से 286/ 3/4, 286/3/5/1, 286/3/5/2, 286/3/6, 287/1 से 287/3, 288/1/1/1/1, 288/1/1/1/2, 288/1/1/2, 288/1/2/1, 288/1/2/2, 288/1/ 3/1, 288/1/3/2/1, 288/1/3/2/2, 288/2, 289/1, 289/2/1, 289/2/2, 289/3/1, 289/3/2, 290 पैकी, 293/1/1 से 293/1/5, 293/2 पैकी, 293/3/1 पैकी, 295, 296/1, 296/2, 297/1/1, 297/1/2, 297/2, 297/3, 298, 299/2 पैकी, 301/1/1 पैकी, 301/1 पैकी, 301/1/2 पैकी, 303/2 पैकी, 305 पैकी, 306/1 पैकी, 306/2, 307/1, 307/2, 308, 307/3, 309/1 से 309/4, 294, 310/1, 310/2, 312, 313, 314/ 1 से 314/3, 315/1, 315/2 पैकी से 315/4 पैकी, 316/1 पैकी एवं 316/2 पैकी.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तहसील हातोद, जिला इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभागे

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 मार्च 2012

क्र. 2062-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा

सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-मोआर ब.नं. 238, प.ह.न. 8/12, रा.नि.मं. चौरई	रकबा 05.252 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यवपर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यवपर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के पुनर्वास हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यवपर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा, (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यवपर्तन परियोजना विस्थापन एवं पुनर्वास उप संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2063-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-केवलारीसंभा ब.नं.-32 प.ह.न. 2/4 रा.नि.मं.-चौरई.	रकबा 05.192 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यवपर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यवपर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के पुनर्वास हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यवपर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यवपर्तन परियोजना विस्थापन एवं पुनर्वास उप संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 मार्च 2012

क्र. 2101-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-हतोडा ब.नं.-301 प.ह.न.-20 रा.नि.मं.-चौरई.	रकबा 19.944 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यवपर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यवपर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई (केम्प छिंदवाड़ा), जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन बायीं तट नहर उप संभाग क्रमांक-3 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2102-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा

सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-चौरईखास ब.नं.-93 प.ह.न.-19/34 रा.नि.मं.-चौरई.	रकबा 08.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यवपर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यवपर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई (केम्प छिंदवाड़ा), जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन बायीं तट नहर उप संभाग क्रमांक-3 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2103-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-तून्डवाडा ब.नं.-120 प.ह.न.-03 रा.नि.मं.-चौरई	रकबा 56.017 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	तून्डवाडा जलाशय के बांध निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा का कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2104-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-खिरेटी ब.नं.-48 प.ह.न.-58/61 रा.नि.मं. अमरवाड़ा	रकबा 04.404 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	तून्डवाडा जलाशय के नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा का कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2105-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-चारगांव ब.नं.-82 प.ह.न.-61 रा.नि.मं. अमरवाड़ा.	रकबा 03.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	तून्डवाडा जलाशय के नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा जिला-छिंदवाड़ा का कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग तामिया जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2106-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-बिल्हेरा ब.नं.-211 प.ह.न.-60 रा.नि.मं. अमरवाड़ा.	रकबा 13.185 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	तून्डवाडा जलाशय के बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा जिला-छिंदवाड़ा का कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग तामिया- जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2107-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-देवरीकला ब.नं.-133 प.ह.न.-02 रा.नि.मं.-चौरई.	रकबा 04.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	तून्डवाडा जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा जिला-छिंदवाड़ा का कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग तामिया जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2108-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-डेहरी ब.नं.-12 प.ह.न.-08 रा.नि.मं.-दमुआ.	रकबा 10.050 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	डेहरी जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा जिला-छिंदवाड़ा का कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन अनुविभाग तामिया जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2109-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-मेंढका ब.नं.-31 प.ह.न.-03 रा.नि.मं.-दमुआ.	रकबा 01.375 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	डेहरी जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन अनुविभाग, तामिया जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

छिन्दवाड़ा दिनांक 28 मार्च 2012

क्र. 2118-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-इमलियाबोहता ब.नं.-07 प.ह.न.-34 रा.नि.मं.-छिंदवाड़ा.	रकबा 01.557 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	छिंदवाड़ा चांद मार्ग के कि.मी. 2/2 से सिवनी राजमार्ग क्रमांक-26 के कि.मी. 156/2 तक बायपास मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा का कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भ/स) उप संभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 22 मार्च 2012

क्र. 594-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान.	384 पैपखरा.	0.049	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	क्योंटी मुख्य नहर के ग्राम पैपखरा की 0.049 हे. आने वाली भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योंटी मुख्य नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 28 मार्च 2012

क्र. 626-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	मानपुर	बरालुमहा	5.224	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र.-1, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 628-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	मानपुर	धनवाही	0.854	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र.-1, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 630-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को,

उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम कह धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	मानपुर	इन्दवार	9.287	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र.-1, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 632-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	मानपुर	पड़खुरी	2.680	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र.-1, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 634-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	मानपुर	झाल	0.113	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र.-1, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 26 मार्च 2012

क्र. क्यू.-भू-अर्जन-2010-11-350.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	करैरा	लालपुर	2218	0.01	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग, करैरा, जिला शिवपुरी.	सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दांयी तट नहर (लालपुर पिकअप वियर के पश्चात्) नहर का निर्माण कार्य हेतु.
			2219	0.03		
			2220	0.06		
			2221	0.02		
			योग . .	0.12		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-2011-12-35-351—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त

धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	दावरअली	33	0.02	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग, करैरा, जिला शिवपुरी.	सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दांयी तट नहर (लालपुर पिकअप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7 के निर्माण कार्य हेतु.
			34	0.39		
			44	0.29		
			47/1	0.01		
			47/2	0.08		
			47/3	0.16		
			47/4	0.01		
			49	0.10		
			योग . .	1.06		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जॉन किंग्सली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 27 मार्च 2012

क्र. 3315-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	चाटूखेड़ा सोंधिया	0.691	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राजगढ़.	चाटूखेड़ा सोंधिया से सुस्तानी मार्ग निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
		लटूरीदांगी	0.055		
		लसूड़ली	2.237		
		पीपलखेड़ा	2.279		
		गिदोंरी	1.932		
		दूबली	0.955		
		धुलेन	2.876		
		चौतरा	0.891		
		देवलीचारन	0.318		
		सुस्तानी	0.904		
		कुल . .	13.138		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 27 मार्च 2012

क्र. क्यू-भूमि संपादन-2012-2336.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-1 के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	घट्टिया	रनाहेड़ा	6.01	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील घट्टिया.	शंकरपुर तालाब योजना के अंतर्गत निजी भूमि का अर्जन हेतु.
		पानबिहार	3.19		
		योग . .	09.20		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, घट्टिया में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 28 मार्च 2012

क्र. 3037-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-1 के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	सरदारपुर	बोला	0.259	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर.	सरदारपुर-बदनावर राजमार्ग क्र. 35 के बोला, बोदली एवं पसावदा स्थित एलाईन्मेंट सुधार में प्रभावित होने से.
		बोदली	0.704		
		पसावदा	0.306		
		योग . .	1.269		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदारपुर एवं संभागीय प्रबन्धक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोक नगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोक नगर, दिनांक 28 मार्च 2012

क्र. 101-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अशोकनगर	ईसागढ़	वरोदिया	48.188	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोक नगर, जिला अशोकनगर (म. प्र.)	पचलाना तालाब निर्माण कार्य

(2) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 102-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम,. 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अशोकनगर	शाढ़ौरा	पोरखी	6.709	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोक नगर, जिला अशोकनगर (म. प्र.)	मढ़ीकानूनगो तालाब निर्माण हेतु स्थायी अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 24 फरवरी 2012

पत्र क्र. क-भू-अर्जन-तेन्दूखेड़ा-2012-829.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—तेन्दूखेड़ा

(ग) नगर/ग्राम—पिड़रई (पांजी)

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.36 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
210/1 में से	0.02
232/1 में से	0.02
195 में से	0.03
204 में से	0.04
186 में से	0.03
185 में से	0.06
190 में से	0.04
272 में से	0.04
267 में से	0.03
287 में से	0.05
योग . .	0.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अजीतपुर खमरिया पहुंच मार्ग.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग दमोह, जिला दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 13 मार्च 2012

क्र. 1077-भू-अर्जन-2012-प्र.क्र. 03-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रतलाम

(ख) तहसील—ताल/आलोट

(ग) ग्राम—बरखेड़ा खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.704 हेक्टर.

सर्वे नं. (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
575/2	0.01
579, 580/1	0.05
580/2, 581/3 579/3, 597/4	0.14
594/1	0.04
594/2	0.05
593/3	0.13
584/915/2/1	0.06
588	0.06
586	0.06
561	0.15
584/915/2/2	0.03
560	0.06
545/1	0.09
545/2	0.08
527/3	0.06

(1)	(2)
537	0.06
528/4	0.02
528/3	0.014
529/2	0.14
49/2 49/893/2/2 49/894/2 49/895/2 49/896/2	0.08
53	0.09
56	0.19
57/2	0.04
योग . .	1.704

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बरखेड़ा खुर्द तालाब की नहर निर्माण से प्रभावित भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 15 मार्च 2012

क्र. क्यू-भू-अर्जन-30.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—नरवर

(ग) नगर/ग्राम—ढिंगवास

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.94 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
1902/2/1	0.060
1555	0.030
1674	0.010
1673	0.060
1603/1	0.03
1603/2	0.06
1603/3	0.06
1600	0.06
1584	0.05
1599	0.03
1587	0.02
1588	0.02
1589	0.05
1604	0.01
1566	0.04
1568	0.02
1585	0.02
1571	0.03
1573	0.01
1570	0.02
1569	0.01
1583	0.01
661	0.04
662	0.03
660	0.04
1572	0.02
1574	0.01
1567	0.02
1565	0.02
659	0.04
658	0.08
654	0.06
650	0.03
638	0.06
637	0.07
630	0.03
634	0.03
635	0.08
616	0.03
629	0.08

(1)	(2)
618	0.07
614	0.02
615	0.02
605	0.09
604	0.05
603	0.08
595	0.08
597	0.04
617	0.01
योग . .	1.94

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जॉन किंगस्ली ए. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. 419-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—मेथावा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.447 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
16/3	0.020
17	0.485
18/1	0.845
18/2	0.220
20/1	0.101
20/2	0.260
20/3	1.052
21/1	2.356
21/2	0.365
49	0.010
50/1	0.010
52/2	0.410
62/3	0.520
63/1	0.061
63/2	0.070
64	0.210
76, 77	0.205
78, 79	0.750
82	1.220
83/1	0.355
83/2	0.360
84/1	0.560
84/2	0.450
84/3	1.115
85/1	0.045
88/2	0.042
88/3	0.150
90	0.040
91	1.020
92	0.140
योग. .	13.447

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 19 मार्च 2012

क्र. 2106-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—नागदा
(ग) ग्राम—भगतपुरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.36 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
26/03	0.08
250 मी.	0.01
251/1	0.27
योग. .	0.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उज्जैन-उन्हेल-नागदा-घिनौदा-जावरा बीओटी टू-लेन मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नागदा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

केवलारी, दिनांक 19 मार्च 2012

क्र. 413-भू-अर्जन अधिकारी-केवलारी-सिवनी-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—केवलारी
(ग) ग्राम—पौंडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.48 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
7	0.05
8	0.01
40/1	0.03
40/2	0.06
40/3	0.02
44	0.06
46/1	0.01
46/2	0.24
योग. .	0.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय केवलारी में किया जा सकता है.

(4) भूमि किस विभाग को आवश्यक है—लोक निर्माण विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 20 मार्च 2012

प्र. क्र. 01-अ-82-एस.डी.ओ.-10-11-भू-अर्जन अधिकारी गैरतगंज.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया

है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रायसेन

(ख) तहसील—गैरतगंज

(ग) नगर/ग्राम—बरखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.855 हेक्टर.

खसरा क्रमांक (1)	कुल रकबा (हे. में) (2)	अर्जित रकबा (हे. में) (3)
124/1/1	4.030	0.364
127/1	1.150	0.049
112/1	3.004	0.126
131	1.668	0.042
132	2.339	0.336
135	1.064	0.042
140	0.987	0.084
167	0.219	0.056
165, 141	3.589	0.084
142	1.064	0.168
157/1	2.255	0.308
157/2	1.619	0.140
157/3	1.619	0.056
	योग . .	1.855

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गैरतगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 21 मार्च 2012

प्र.क्र. 08-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की बासगोन तालाब योजना (पूरक प्रकरण) के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मंदसौर

(ख) तहसील—गरोठ

(ग) ग्राम—बासगोन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.96 हेक्टर.

सर्वे नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)
229/1	0.24
229/2	0.22
229/4	0.25
229/3	0.25
योग. .	0.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बासगोन तालाब निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गरोठ, जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 21 मार्च 2012

प्र. क्र. 4-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—मोहनगढ़

(ग) नगर/ग्राम—मझगुवॉ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.819 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
590/1	0.026
591	0.055
595	0.005
597	0.190
603/2	0.100
604/3	0.390
622/3	0.860
680	0.020
681	0.100
682	0.034
683	0.020
693	0.015
712	0.360
705	0.090
705/ब	0.008
706	0.180
707	0.040
722/ब/2	0.230
775	0.020
776	0.106
योग . .	2.819

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—मोहनगढ़

(ग) नगर/ग्राम—पड़वार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.042 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
405	0.080
406	0.027
407	0.030
408	0.040
412	0.010
413	0.060
415	0.040
417	0.050
418	0.030
556	0.110
424	0.010
426	0.175
427	0.150
435	0.020
457	0.060
459	0.100
513	0.190
514	0.040
515	0.120
557	0.080
516	0.020
518	0.020
519	0.070
520	0.030
522	0.180
688/2	0.300
823/3/1	0.460
824	0.060
825	0.060
826	0.050

(1)	(2)
833/1	0.140
833/2	0.140
834/3ख	0.230
846/1क	0.620
413/895	0.010
413/894	0.010
431/900	0.020
832/2क	0.200
योग . .	4.042

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—मोहनगढ़

(ग) नगर/ग्राम—गोर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.253 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
457	0.005
461/1	0.005
461/5	0.007
462	0.130
557	0.140
559	0.001
562	0.170
563	0.130
564	0.001
565	0.030
613	0.020
614	0.050
615	0.050
617	0.110
618	0.002
619	0.002
620	0.002
650/1	0.125
669	0.010
672	0.080
673	0.130
674	0.008
675	0.030
690	0.060
692	0.001
758	0.050
759	0.070
760	0.080
763	0.100
765	0.090
766	0.001
771	0.090
772	0.080
1411	0.090
1413	0.150
1415	0.160
योग . .	2.253

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 21 मार्च 2012

क्र. 560-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर
(ग) नगर/ग्राम—टिकुरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.777 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)
पुरवा मुख्य नहर एवं नवलक्षा माइनर		
8	0.061	
38	0.065	
44	0.521	
45	0.081	
51/1	0.049	
	योग . . 0.777	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर के अन्तर्गत मरैला कोठार माइन की सब-माइनर नं. 1 एवं 2 का निर्माण कार्य के अन्तर्गत वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 563-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—डिहिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.126 हेक्टेयर. (छुटे हुए)

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
413	0.032
427	0.008
544	0.008
622	0.072
626/1	0.006
योग . .	0.126

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की पुरवा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 565-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—जोकहा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.034 हेक्टेयर. (छुटे हुए)

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
160	0.028
248	0.006
योग . .	0.034

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की पुरवा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 567-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर रीवा
(ग) नगर/ग्राम—कपुरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.302 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
153	0.086
154	0.004
155	0.040
183	0.004
185	0.040
617	0.128
योग . .	0.302

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की मझबोगा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 569-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—खम्हरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.120 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
37	0.120
योग . .	0.120

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की मझबोगा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 28 मार्च 2012

पत्र क्र. 636-भू-अर्जन 2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर
(ग) नगर/ग्राम—बरा, जनरल नं. 94
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.398 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
4	0.012

(1)	(2)
7/2	0.002
18/1	0.010
19/2क	0.004
21	0.008
29	0.012
35	0.010
39/1ब	0.138
61	0.862
91/1	0.728
92/1	0.057
63	0.028
64/1	0.401
85/1	0.002
85/2	0.002
96/2	0.004
103/3	0.010
117/1	0.036
122/2क	0.002
122/2ख	0.002
134/1	0.004
142/2	0.227
142/3	0.226
142/4	0.226
149	0.010
159	0.299
174/2	0.002
181/1ग	0.028
231/1क	0.002
231/1ख	0.002
231/1ग	0.002
231/1घ	0.002
231/2	0.002
232/2	0.026
247	0.204
62/3	0.583
87/4	0.053
108/4	0.170
योग . .	4.398

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 638-भू-अर्जन 2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर
(ग) नगर/ग्राम—देवगवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.415 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हे. में) (2)
10	4.415
योग . .	4.415

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 640-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर

(ग) नगर/ग्राम—भरेवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.259 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
12/2040/1	0.130
12/2040/2	0.129
योग . .	0.259

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 642-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामनगर

(ग) नगर/ग्राम—बिम्हौरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.463 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
482	0.568
643	0.607
653	1.011
705	0.277
योग . .	2.463

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 644-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामनगर

(ग) नगर/ग्राम—पाठा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.813 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
17/1	0.218
23/1	0.405
47	0.405
119	0.109
248	1.057
279	0.801
281	0.166
284	0.524
300	0.810
344	4.047
357	0.069
403/4	0.202
योग . .	8.813

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 646-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) नगर/ग्राम—पुरैना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.115 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
204	0.040
292	0.016
726	0.005
728	0.028
887	0.026
योग . .	0.115

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 648-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—न्यूरामनगर
(ग) नगर/ग्राम—मिरगौती
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.486 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
250	0.082
1824	0.999
2372	0.405
योग . .	1.486

टीप.—उपरोक्त खसरा नम्बरों का पूर्ण रूपेण परीक्षण करने के उपरांत ही सही पाए जाने पर मुआवजा भुगतान की कार्यवाही करें.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 650-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) नगर/ग्राम—पटेहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.944 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
47	0.462
48	0.045
49	0.045
50	0.024
51	0.202
52	0.069
योग . .	0.944

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 652-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामनगर

(ग) नगर/ग्राम—मसमासी कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.699 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हे. में) (2)
852	0.441
832/1094	0.073
855	1.125
851/1	0.028
851/2	0.032
योग . .	1.699

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाली निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासन एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 22 मार्च 2012

प्र. क्र. 14-अ-82-वर्ष 10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, उसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—बीना

(ग) ग्राम—मूडरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.020 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
102/1	0.160
101/1	0.010
96	0.300
95	0.290
6	0.180
5	0.200
3	0.230
2/3	0.480
2/1	0.130
2/2	0.420
16	0.050
17	0.570
योग . .	3.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी बीना एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 22 मार्च 2012

क्र-भू-अर्जन-27-(अ-82)-2011-12-220.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—सिलहरी रै.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—18.63 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
शीर्ष कार्य निजी भूमि	
510/1	0.200
510/2	0.200
511	2.190
512	2.220
514	0.580
515	1.220
516	0.790
518	1.500
519/4	1.600
519/2	0.600
520	0.600
521	2.620
522	2.330
523	1.980
योग निजी भूमि . .	18.630
शीर्ष कार्य शासकीय भूमि	
513	2.400
सकल योग . .	21.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टिकरिया (सिलहरी) जलाशय योजना के अन्तर्गत शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र-भू-अर्जन-41-(अ-82)-2011-12-222.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—गोयरा रैयत

(घ) लगभग क्षेत्रफल—22.27 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
शीर्ष कार्य निजी भूमि	
222	0.190
223	0.190
224	0.190
225	0.180
226	0.190
227	0.190
228	0.200
229	0.350
230	0.100
231	0.260
232	0.020
253	0.300
255	0.280
256	0.310
257	0.970
258	1.430
259	1.330
153	0.100

(1)	(2)
166/1	0.100
166/2	0.100
166/3	0.100
166/4	0.100
129/1	0.020
129/2	0.020
130/1	0.400
130/2	0.400
131	0.640
134	0.390
133	0.200
135	1.200
143	2.070
142	0.020
144/1	0.070
144/2	0.070
144/3	0.060
144/4	0.050
146/1	0.160
146/2	0.160
146/3	0.160
146/4	0.160
260/1	1.020
260/2	0.160
260/3	0.420
273/1	0.480
273/2	0.490
273/3	0.490
273/4	0.470
274/1	0.410
274/2	0.410
272/1	0.630
272/2	0.200
275	0.300
198	0.040
200	0.500
201	0.180
236	0.060
157	0.400
267	0.100
266	0.150
265	0.200
योग शीर्ष कार्य निजी भूमि . .	20.540
बांयी तट नहर निजी भूमि	
216	0.260
213	0.040
212	0.140
210	0.030
209	0.020
201	0.070
206	0.020
204	0.110
203	0.220
योग बॉयी तट नहर कार्य . .	0.910
दांयी तट नहर निजी भूमि	
475	0.200
476	0.320
277/1	0.150
277/2	0.150
योग दॉयी तट नहर कार्य . .	0.82
शासकीय भूमि	
220, 221, 218, 288, 254, 156/287, 156, 155, 154, 132, 124, 261, 247, 289, 167, 202, 270, 218, 217,	14.10
सकल योग . .	36.370

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गोयरा जलाशय योजना के अन्तर्गत शीर्ष कार्य एवं दॉयी व बॉयी तट नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-42 (अ-82) 2011-12-221.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—नेवसा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.50 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
दांयी तट नहर निजी भूमि	
242	0.060
243/2	0.080
243/3	0.080
243/4	0.080
योग :	0.300
बांयी तट नहर निजी भूमि	
218	0.250
156	0.100
157	0.230
211	0.050
203	0.090
204	0.150
205	0.190
206/1	0.020
206/2	0.020
270	0.040
272	0.030
273	0.170
274	0.030
286	0.020
287	0.020
288	0.010
293	0.060
292	0.050
(1)	(2)
296	0.060
301	0.100
184	0.100
185	0.160
115	0.120
116	0.130
योग :	2.200
कुल निजी भूमि	2.500
शासकीय भूमि—	
153,168,279,294,298 300, 176, 117	0.140
कुल योग :	2.640

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—गोयरा जलाशय योजना के अन्तर्गत दांयी व बांयी तट नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-48 (अ-82) 2011-12-229.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—राई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.50 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
शीर्ष कार्य निजी भूमि	
47	0.200
48	0.330

(1)	(2)
49	0.310
50	1.000
51	0.500
55	0.300
110	0.100
111	0.700
112	0.700
46	1.000
266	1.000
268	1.000
169/1	0.800
277/2	0.560
कुल योग :	8.500

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कुकर्रा जलाशय योजना के अन्तर्गत शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-49(अ-82) 2011-12-228.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—खरगवारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.51 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
दांयी तट नहर कार्य निजी भूमि	
161	0.110
305	0.060
308	0.110
309/1	0.070
310	0.050
311	0.040
315	0.070
316	0.090
327	0.120
332	0.100
333	0.150
योग :	0.970
बांयी तट नहर कार्य निजी भूमि	
32	0.090
33	0.070
34	0.090
35	0.050
36	0.080
39	0.070
40	0.090
75	0.040
74/1	0.060
107	0.080
110	0.070
443	0.030
442	0.050
441	0.040
439/1	0.040
439/2	0.050
433/1	0.080
433/2	0.070
434/486	0.090
463	0.080
465/1	0.080
466	0.040
470	0.070
473	0.030
योग :	1.540
कुल निजी भूमि :	2.510
शासकीय भूमि—	
314,76,108,440,472	0.210
योग कुल अर्जित भूमि :	2.720

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कुकर्रा जलाशय योजना के अन्तर्गत दांयी तथा बांयी तट नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-68(अ-82) 2011-12-227.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—रामगढ़, प..ह.नं. 47, रा.नि.मं. अमरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.874 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
577	0.040
571	0.092
570	0.128
568	0.012
569	0.032
467/591	0.048
467	0.06
468	0.084
469	0.060
470	0.018
450	0.008
548	0.108
475	0.176
435	0.048
428	0.152
429	0.012
430	0.160
292	0.072
277/1	0.088
275	0.072
259	0.204
कुल योग	: 1.674

मध्यप्रदेश शासन—

434,431,353, 294/1,237,293	0.200
कुल योग	: 1.874

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भाखा डायवर्सन स्कीम दांयी तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-70(अ-82) 2011-12-226.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—बिजौरी माल, पटवारी हल्का नं. 47
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.294 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
311	0.028
323/1	0.160
299	0.112
298	0.040
297	0.040
296	0.148
279	0.028
280	0.020

(1)	(2)
284/3	0.056
289	0.020
285	0.084
286	0.132
225	0.044
224	0.036
223	0.120
219	0.080
220	0.060
218	0.116
214	0.224
141/1	0.012
141/2	0.016
140	0.024
139/2	0.116
125	0.088
131	0.080
132/1	0.020
132/2	0.296
कुल योग :	2.200

मध्यप्रदेश शासन—

322,321,320,230,133 134	0.094
कुल योग :	2.294

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—भाखा डायवर्सन स्कीम दांयी तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-71(अ-82) 2011-12-225.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—देवरी माल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.382 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
नहर कार्य निजी भूमि—	
689	0.060
691	0.110
693	0.090
701	0.060
700	0.090
705	0.030
706	0.110
707	0.008
744,745/2	0.016
741/1	0.096
738	0.028
736/1	0.100
755/1	0.024
755/2	0.024
755/3	0.024
755/4	0.024
755/5	0.054
754/1	0.054
754/2	0.050
976/1	0.050
976/2	0.050
975/1	0.040
975/2	0.040
972	0.060
973/1	0.045
973/2	0.045
योग निजी भूमि— :	1.382

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—खुड़िया डायवर्सन स्कीम के अन्तर्गत नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-74(अ-82) 2011-12-224.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—कोकोमटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.96 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
शीर्ष कार्य निजी भूमि—	
368/1	0.080
374	0.480
375	0.600
377	0.400
378	0.400
381	0.400
382	0.570
383	0.420
384	0.570
385	0.400
386	0.310
387	0.400
388	0.400
389	0.400
390	0.400
392/2	0.200
392/3	0.200
395	0.200
396/1	0.080
504	0.500
507	0.200
373	0.230
397/2	0.100
409	0.150
368/2	0.070
369	0.080
398	0.900
397/1	0.600
396/2	0.030
योग शीर्ष कार्य निजी भूमि :	9.765
शीर्ष कार्य निजी भूमि—	
398	0.050
373	0.036
372	0.016
371/1	0.032
369	0.032
365/3	0.032
364/2	0.024
359/1	0.060
356	0.030
357	0.050
358/2	0.050
109	0.032
111	0.020
87/1	0.036
86	0.050
57/3	0.050
57/4	0.050
57/1	0.050
54/2	0.100
53	0.020
34/1	0.030
34/2	0.030
13	0.050
16	0.085
15/3	0.050
18	0.060
20/1	0.040
36	0.015
55	0.015
कुल योग :	1.195
कुल निजी भूमि योग :	10.960

शासकीय भूमि —

376,379,380,391 392/1,393	1.880
कुल योग :	12.840

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—खुड़िया डायवर्सन स्कीम के अन्तर्गत शीर्ष एवं बांयी तट नहर कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-75(अ-82) 2011-12-223.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—खुड़ियामाल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.248 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
शीर्ष कार्य निजी भूमि—	
467/2	0.320
468	0.400
469	0.490
471	0.400
470	0.100
472	0.490
473	1.950
463	0.150
465/1	0.200
465/2,465/3	0.150
465/4	0.100
(1)	(2)
465/5	0.200
466	0.400
467/1	0.300
योग शीर्ष कार्य निजी भूमि :	5.650
नहर कार्य निजी भूमि—	
465/4	0.020
465/2	0.020
465/3	0.020
463	0.060
462	0.060
460/1	0.030
459	0.024
458/1	0.060
458/2	0.060
336/1	0.002
335/1	0.042
335/3	0.026
334	0.060
333	0.030
330	0.036
328	0.045
327	0.040
326	0.040
325	0.020
324	0.020
323	0.020
322	0.020
321	0.053
320	0.060
319	0.010
314	0.070
315	0.050
316	0.020
259	0.210
260	0.036
264/2	0.040
265	0.030
266	0.030

(1)	(2)
268/1	0.030
268/2	0.012
247	0.012
246	0.030
245	0.032
244/2	0.012
242/1	0.026
242/2	0.026
226/1	0.085
226/2	0.030
227	0.080
221/2	0.052
220/1	0.032
27	0.025
26	0.060
28	0.100
35/1	0.080
31	0.030
33	0.050
32	0.100
42/1	0.090
13	0.025
12	0.190
14	0.025
योग नहर कार्य निजी भूमि कुल योग	: 2.598
कुल निजी भूमि	: 8.248
शासकीय भूमि—	
461, 456, 224	0.580
कुल योग	: 8.828

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—खुड़िया डायवर्सन स्कीम के अन्तर्गत शीर्ष कार्य एवं दांयी तट नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी.वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 26 मार्च 2012

भू-अर्जन- प्रकरण क्र. 62-अ-82-10-11—**शुद्धि-पत्र.**—जल संसाधन संभाग के नावली तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण के अन्तर्गत ग्राम सहेजला तहसील खण्डवा जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-62-अ-82-10-11 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 16 सितम्बर 2011 को चौथा संसार समाचार पत्र में दिनांक 17 सितम्बर 2011 को, स्वदेश में दिनांक 18 सितम्बर, 2011 एवं आम इश्तहार दिनांक 9 सितम्बर 2011 को हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

प्रकाशन जिसमें हुआ (1)	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि (2)		सही संशोधित प्रविष्टि (3)	
	ख. नं.	रकबा (हे.में)	ख. नं.	रकबा (हे.में)
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 16 सितम्बर 2011	29	0.08	27/1	0.08
	42/2	2.04	42/2	1.44
			42/3	0.60
	5	0.52	5/1	0.26
			5/2	0.26
	48	0.02	49/3	0.02
चौथा संसार समाचार पत्र में दिनांक 17 सितम्बर 2011	29	0.08	27/1	0.08
	42/2	2.04	42/2	1.44
			42/3	0.60
	5	0.52	5/1	0.26
			5/2	0.26
	48	0.02	49/3	0.02
स्वदेश में दिनांक 18 सितम्बर 2011	29	0.08	27/1	0.08
	42/2	2.04	42/2	1.44
			42/3	0.60
	5	0.52	5/1	0.26
			5/2	0.26
	48	0.02	49/3	0.02
आम इश्तहार में दिनांक 9 सितम्बर 2011.	29	0.08	27/1	0.08
	42/2	2.04	42/2	1.44
			42/3	0.60
	5	0.52	5/1	0.26
			5/2	0.26
	48	0.02	49/3	0.02

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 60.45 हे. यथावत रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 26 मार्च 2012

प्र. क्र. 05-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनौर
(ग) ग्राम—रजौआ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.24 हेक्टेयर में.

सर्वे नं	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे.में)
(1)	(2)	(3)
16/1	0.752	0.270
15 मिन	0.418	0.010
15 मिन	0.397	
16/2	1.997	0.094
39	1.694	0.057
41	0.627	0.206
42	0.627	0.085
48/1 मिन	0.831	
48/1 मिन	1.144	0.263
48/1 मिन	1.354	
48/1 मिन	0.831	
45	0.566	0.043
48/2 मिन	2.09	0.342
48/2 मिन	1.045	
48/2 मिन	1.035	0.167
52	0.784	
53 मिन	0.837	
53 मिन	0.627	
53 मिन	0.230	0.068
53 मिन	0.486	
53 मिन	0.486	
54	0.373	0.012
51/1	1.066	0.006
51/2	0.158	0.059
65	0.155	0.072
63	0.261	0.043
62	0.345	0.072
71	0.283	0.085
72	1.171	0.024
73 मिन	1.203	0.043
73 मिन	0.157	
75	0.199	0.010
76 मिन	1.203	0.103
76 मिन	0.157	
78	0.272	0.006
79	0.345	0.035
82	0.543	0.157
83 मिन	0.240	0.141
83 मिन	0.701	
102	0.346	0.178
97 मिन	0.178	0.013
97 मिन	0.177	
98 मिन	0.199	0.045
98 मिन	0.002	
164 मिन	0.052	
164 मिन	0.773	
164 मिन	0.784	
164 मिन	0.565	0.107
164 मिन	0.240	
164 मिन	0.148	
164 मिन	0.596	
13/4	3.073	0.06
13/14	1.192	0.087
13/13	0.658	0.208
13/12	0.564	0.147
13/10	0.418	0.19
13/9	0.605	0.165
13/8	0.836	0.140
13/24	0.316	0.010
13/25	0.460	0.172
13/26	0.627	0.292
13/27	0.209	0.090

(1)	(2)	(3)
13/7	0.784	0.025
23/23	4.035	0.303
23/26/1	2.018	0.242
23/29	2.727	0.136
23/30	4.045	0.136
30	61.429	1.58
158	33.65	0.885
162 मिन	3.396	
162 मिन	0.658	0.348
162 मिन	2.896	
162 मिन	2.905	
282/2	2.299	0.265
282/1	2.289	0.136
282/4	3.439	0.454
282/5	3.449	0.31
214/2	0.378	0.127
215	1.484	0.212
242	1.045	0.195
245	0.836	0.153
246	1.569	0.153
248	1.108	0.170
280	2.922	0.028
13/15	0.11	0.005
	योग :	10.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-11-12-भू-अर्जन.— चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—चीनौर

(ग) ग्राम—कछौआ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.774 है.

सर्वे नं	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे.में)
(1)	(2)	(3)
01 मिन	1.222	0.250
01 मिन	1.223	
03 मिन	1.192	
03 मिन	0.417	0.448
03 मिन	0.836	
04 मिन	1.003	
04 मिन	0.585	0.262
04 मिन	0.542	
09	1.097	0.005
11	12.492	0.630
12 मिन	0.036	
12 मिन	0.836	0.40
12 मिन	0.542	
13 मिन	0.752	0.02
19 मिन	0.62	
19 मिन	0.62	0.346
19 मिन	0.62	
14	1.045	0.18
18	0.523	0.147
17 मिन	1.730	
17 मिन	1.730	0.062
17 मिन	1.730	
17 मिन	1.730	
15	2.038	0.114
16 मिन	0.230	
16 मिन	0.230	0.146
16 मिन	0.230	
93 मिन	0.073	
93 मिन	0.028	
93 मिन	0.028	0.21
93 मिन	0.028	
93 मिन	0.084	
96	0.804	0.295
97	0.209	0.035
98	1.014	0.16
92	1.686	0.200
91	0.533	0.11
106	1.903	0.005

(1)	(2)	(3)
107	3.428	0.015
90	5.008	0.390
75	6.658	0.41
118	5.905	0.45
120 मिन	1.030	0.246
120 मिन	1.029	
119	0.930	0.266
143 मिन	0.449	
143 मिन	0.449	0.182
143 मिन	0.450	
146	14.178	0.79
	योग :	6.774

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ-82-10-11-भू-अर्जन.— चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—टप्पा घाटीगांव
(ग) ग्राम—हुकुमगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.03 हेक्टेयर.

ग्राम उरवा में नवीन नहर का निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की अनिवार्य भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव.

जिला ग्वालियर

खसरा क्र.	कुल रकबा (हे.में)	भू-अर्जन हेतु नहर में आने वाला रकबा (हे.में)
(1)	(2)	(3)
24	0.40	0.04
33	0.95	0.02
34	0.10	0.06
36	3.21	0.42
37	1.21	0.05
40	1.08	0.25
41	0.53	0.14
42	0.48	0.03
46	1.60	0.02
9	9.56	1.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—हिम्मतगढ़ तालाब योजना के अन्तर्गत बायीं तट नहर की वितरकाओं के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 48-अ-82-10-11-भू-अर्जन.— चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—भितरवार
(ग) ग्राम—स्याऊ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.374 हेक्टेयर.

सर्वे नं	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित किये जाने अनुमानित रकबा (हे.में)
(1)	(2)	(3)
130	0.240	0.046
133	0.313	0.057
135	0.314	0.034
136	0.334	0.128
80	0.512	0.046
83	1.202	0.173

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
141	2.257	0.034	385	0.314	0.080
155	0.850	0.103	394/1140	0.157	0.046
158	1.681	0.137	395	0.296	0.115
159	0.470	0.128	396	0.115	0.046
160	0.606	0.183	397	0.460	0.012
161	2.163	0.012	398	0.042	0.042
162	2.195	0.012	399	0.157	0.057
218	0.073	0.023	400	1.128	0.166
219	0.084	0.012	401	0.178	0.034
220	1.379	0.079	402	0.146	0.046
206	0.334	0.023	404	0.188	0.046
207	0.815	0.162	405	0.146	0.023
208मिन	0.115	0.053	407	0.136	0.023
208मिन	0.105	0.052	408	0.042	0.023
212 मिन	0.052	0.019	449	2.268	0.183
212 मिन	0.052	0.019	451मिन	0.031	0.006
212 मिन	0.052	0.019	451मिन	0.117	0.006
213	0.052	0.012	498	0.125	0.059
214	0.052	0.023	501	0.115	0.023
215	0.219	0.081	502	0.063	0.012
216	0.261	0.069	503	0.073	0.012
217	0.188	0.057	504	0.136	0.057
233	0.942	0.034	511	0.084	0.046
234	0.930	0.069	512	0.115	0.046
279	0.804	0.012	960	0.230	0.057
288	0.314	0.069	961	0.240	0.023
289	0.219	0.092	962	0.105	0.023
290	0.178	0.023	963	0.146	0.057
291	0.994	0.162	964	0.105	0.069
293मिन	0.105	0.05	965	0.230	0.023
293मिन	0.063	0.051	939मिन	0.272	0.034
293मिन	0.105	0.105	978	0.408	0.103
305	0.084	0.012	979/3	0.293	0.193
307	0.523	0.057	15मिन	1.045	0.024
382	0.261	0.080	16	1.965	0.182
383	0.293	0.069	18	0.794	0.11
384/1139	0.073	0.012	19	1.024	0.181

(1)	(2)	(3)
20/5मिन	2.00	0.072
52	1.150	0.170
53	0.564	0.048
54	1.94	0.121
60	0.742	0.134
61	0.334	0.06
607मिन	1.268	0.048
618मिन	0.115	0.082
620	0.313	0.060
621मिन	0.209	0.097
621/1074	0.429	0.121
630मिन	0.271	0.083
630मिन	0.136	0.014
632मिन	0.073	0.016
632मिन	0.146	0.040
632मिन	0.074	0.015
632मिन	0.074	0.015
647मिन	0.746	0.218
649	0.178	0.022
650मिन	0.329	0.034
660मिन	1.986	0.667
674मिन	1.164	0.218
674मिन	0.836	0.100
674मिन	2.00	0.104
681	1.484	0.012
682	0.125	0.06
792	0.418	0.109
793	0.251	0.06
805मिन	0.120	0.067
805मिन	0.121	0.067
843	0.188	0.085
844मिन	0.356	0.072
856	0.512	0.048
860	0.146	0.035
861	0.449	0.060
684मिन	0.428	0.218
22मिन	1.500	0.197
27	1.337	0.138
28	0.994	0.081
29	1.923	0.093
30	1.087	0.163
32	0.888	0.138
33	1.045	0.138
38मिन	0.336	0.084
38मिन	1.293	0.062
38मिन	0.491	0.040
711मिन	1.279	0.081
715	1.494	0.186
716	0.962	0.012
725	1.014	0.046
726	0.105	0.034
727	0.167	0.023
728	0.471	0.128
729	0.836	0.034
733	1.004	0.093
734	1.024	0.081
740मिन	0.616	0.012
741	0.418	0.093
754	0.836	0.138
755	0.70	0.105
756	0.794	0.138
757	0.471	0.104
621/3	0.303	0.047
		योग : 11.374

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाधीश, जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 27 मार्च 2012

क्र. 3313-14-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—राजगढ़
- (ख) तहसील—राजगढ़, दाताग्राम—किला अमरगढ़ मार्ग,
- (ग) नगर/ग्राम—ढंड जागीर,हमीरपुरा जागीर, पडीया, कराडिया, धनवास कलां, भीयापुरा, पाटडी कलां, भवानीपुरा, भगोतीपुर, शंकल्या, बावड़ीपुरा, डूंगापुर, शोभापुर, अमरगढ़.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—24.923 हेक्टेयर.

ग्राम का नाम	कुल रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ढंड जागीर	1.091
हमीरपुरा जागीर	0.532
पडीया	1.609
कराडिया	1.714
धनवास कलां	0.682
भीयापुरा	2.206
पाटडी कलां	6.519
भवानीपुरा	3.171
भगोतीपुर	0.478
शंकल्या	2.103
बावड़ीपुरा	0.803
डूंगापुर	0.303
शोभापुर	3.551
अमरगढ़	0.162
योग :	24.923

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—दाता ग्राम से किला अमरगढ़ मार्ग निर्माण हेतु ग्राम ढंड जागीर,हमीरपुरा जागीर, पडीया, कराडिया, धनवास कलां, भीयापुरा, पाटडी कलां, भवानीपुरा, भगोतीपुर, शंकल्या, बावड़ीपुरा, डूंगापुर, शोभापुर, अमरगढ़ की.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 27 मार्च 2012

क्र. 1067-भू-अर्जन-2012- रा.प्र.क्र. . ..—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—झाबुआ
- (ख) तहसील—पेटलावद
- (ग) ग्राम—जुनाखेड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.21 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
178	0.01
179	0.02
180/1	0.10
180/2	0.08
योग :	0.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पनास तालाब नहर निर्माण होने से ग्राम जुनाखेड़ा का कुल रकबा निजी भूमि 0.21 हेक्टेयर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटवावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1069-भू-अर्जन-2012-रा.प्र.क्र. . . . ..—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—रायपुरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.70 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1410	0.08
1411	0.18
1412/1	0.10
1413/1	0.06
1386/2	0.03
1416	0.08
1424	0.22
1425	0.12
1429	0.10
1428	0.19
1390	0.10
1389	0.23
1298	0.15
1299	0.06
1300	0.07
1312	0.31
1239/2	0.05
1247	0.16
1244	0.08
1246/3	0.05
1246/2	0.05
1246/1	0.05
1245	0.07
1324/2	0.18
1231	0.04
1228	0.08
1207	0.12
1134	0.03
1209	0.04
1133	0.03
1211	0.04
1141	0.04
1122	0.20
1131	0.22
1130	0.08
1320/1	0.25
1319	0.35
1333	0.10
1332	0.12
1336/1	0.22
1321	0.04
1357	0.05
1356/5	0.18
1356/3	0.04
1356/4	0.18
1356/2	0.18
1356/1	0.09
1241/7	0.07
1324/1	0.06
1323	0.04
1322	0.04
योग . .	5.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पनास तालाब नहर निर्माण होने से ग्राम रायपुरिया का कुल रकबा निजी भूमि 5.70 हेक्टर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 28 मार्च 2012

क्र. 3020-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—बदनावर

(ग) ग्राम—धारसीखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.753 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
467/1	0.020
368/1/3/3	0.025
368/1/3/2	0.050
368/1/3/1	0.050
368/1/1	0.051
368/1/2	0.051
456/1	0.170
444/1	0.160
445/1	0.161
443/1/3	0.005
436	0.010
योग . .	0.753

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सरदारपुर-बदनावर राजमार्ग क्रमांक 35 पर धारसीखेड़ा स्थित एलाईमेन्ट सुधार में प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बदनावर तथा संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 29 मार्च 2012

क्र. 111-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—सिलपरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.120 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
37	0.582
38	0.035
39	0.070
40	0.120
42	0.237
43	0.030
44	0.251
48	0.385
468	0.547
466/4	0.081
465/1	0.081
466/2	0.081
466/3	0.081
465/2	0.082
466/5	0.081
466/6	0.081
465/3	0.051
466/1	0.081
463	0.520
461	0.573
435	0.446
436	0.154

(1)	(2)
459	0.281
460	0.048
429/1	0.566
429/2	0.117
429/3	0.060
429/4	0.022
426	0.006
427	0.177
428	0.481
योग . .	1.120

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— रीवा रिंगरोड का एन्युटी योजना के अन्तर्गत निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 113-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—गड़रिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—16.896 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
134	0.022
98	0.153
87/1, 87/3, 87/4	0.443
89	0.346
97	0.210
100	0.372
101	0.812
90	0.307
103	0.485
104	0.045
105	0.120
108	0.465
109	0.336
119	0.027
120	0.019
110	0.090
112	0.028
113/1	0.123
113/2	0.016
114	0.195
577	0.015
578	0.057
580	0.349
587/2	0.008
587/1	0.068
588/2	0.016
588/1	0.283
589	0.529
590	0.583
774	0.042
783	0.874
780	0.337
777	0.101
781	0.075
779	0.023
778	0.309
803	0.281
804	0.060
808	0.057
810	0.040
809	0.011
806	0.330
807	0.057
805	0.214
811	0.220
813	0.065
812	0.090
816	0.448
824	0.109
825	0.367
828	0.039
859	0.229

(1)	(2)
822	0.085
823	0.564
862	0.020
860	0.068
863	0.020
861	0.375
866	0.124
864	0.107
862	0.016
883	0.370
915	0.149
916	0.014
971	0.018
918	0.024
939	0.280
922	0.447
969	0.304
970	0.067
935	0.078
933	0.016
971	0.182
972	0.184
932	0.065
973	0.106
976	0.124
931	0.027
975	0.020
978	0.110
982	0.087
1005	0.582
1004	0.077
1003	0.176
1002	0.012
1001	0.026
1000	1.072
योग . .	16.896

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— रीवा रिंगरोड का एन्युटी योजना के अन्तर्गत निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 115-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—रतहरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.627 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
230	0.016
229	0.372
299	0.008
234	0.036
231	0.006
233	0.010
295	0.007
294	0.026
272	0.139
277	0.020
235	0.175
300	0.018
236	0.165
237	0.174
298	0.006
291	0.058
239	0.032
288	0.089
289	0.077

(1)	(2)
287	0.163
325	0.019
286	0.103
285	0.077
338	0.013
339	0.008
238	0.267
336	0.073
348	0.061
341	0.045
349	0.006
342	0.019
348	0.200
347	0.020
350	0.010
356	0.356
343	0.040
344	0.029
345	0.041
346	0.040
351	0.018
330	0.182
331	0.090
354	0.258
352	0.040
353	0.056
355/1	0.808
357	0.312
392	0.032
383	0.341
379	0.057
381	0.364
380	0.105
378	0.117
382	0.063
377	0.580
376	0.013
375	0.026
374	0.081
201	0.060
योग . .	6.627

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— रीवा रिंगरोड का एन्युटी योजना के अन्तर्गत निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 117-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—डकवार
(घ) रकबा —0.103 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
125	0.098
109	0.005
योग . .	0.103

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अन्तर्गत निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 119-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—जोरी
(घ) रकबा —2.030 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
560	0.025
326/3	0.018
308	0.088
115	0.019
46	0.055
229	0.027
233	0.015
587	0.105
561	0.510
529	0.076
528	0.011
307	0.005
297	0.097
112	0.005
120	0.875
327	0.054
131	0.045
योग . .	2.030

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अन्तर्गत निर्माण.

(3) भूमि नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर का जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 121-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—रतहरा
(घ) रकबा —2.569 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
309	0.633
311	0.012
312	0.257
313	0.052
314	0.243
315	0.124
316	0.140
322	0.001
323	0.324
324	0.185
326	0.056
328	0.011
329	0.113
583	0.129
584	0.145
599	0.076
600	0.020
601	0.048
योग . .	2.569

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अन्तर्गत निर्माण.

(3) भूमि नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.